



झारखण्ड सरकार

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(जिला भू अर्जन शाखा)

दूरभाष सं० :-06432-232680 फ़ैक्स :-06432-232967 ई-मेल :-deoghardlao@gmail.com

झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली-2015 के तहत एस०आई०ए० प्रतिवेदन का सारांश

ज्ञापांक- IV-59/2018/...../भू अ०

दिनांक-.....


- परियोजना का नाम :- चांदडीह-तिलौना पथ भाया सिमरा, खसपेका, पिछड़ीबाद, मथुरापुर, हुसैनाबाद, कथारी पथ का पुनिर्माण।
- एस०आई०ए० करने वाले संस्थान का नाम :- Shri Baidyanath Foundation, Deoghar
- परियोजना समन्वयक :- श्री आर० के० सिंह एवं दल
- प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण, अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार एवं परियोजना क्षेत्र और एस० आई० ए० द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र :-

क्रमांक	मौजा का नाम	थाना संख्या	अंचल का नाम	अधियाचित रकवा (एकड़ में)
1	2	3	4	5
1	बसवरिया	624	देवघर	2.135
2	सरकण्डा पहाड़पुर	632	देवघर	2.065
3	दुहो सुहा	99	देवीपुर	2.97
4	धावाटांड	369	देवघर	1.4
5	रक्शमुता	365	देवघर	0.925
6	हुसैनाबाद	100	देवीपुर	4.715
7	फुटाबांध	90	देवीपुर	1.37
8	डुबानावाडीह	49	देवीपुर	0.95
9	मसनोडीह	367	देवघर	0.36
10	सिमरा	370	देवघर	1.245
11	मंझलाडीह	93	देवीपुर	1.57
12	राउतडीह	101	देवीपुर	0.48
13	करमाटांड	355	देवघर	2.515
14	डोमनाटांड	333	देवघर	0.555
15	कोकहराजोरी	348	देवघर	1.86
16	कटघरी	102	देवीपुर	0.08
17	साधुजोर	354	देवघर	1.441



18	झुण्डी	92	देवीपुर	2.10
19	चितरपुर	91	देवीपुर	1.34
20	खसपैका	621	देवघर	0.835
<b>कुल योग-</b>				<b>30.911</b>

5. एस०आई०ए० प्रतिवेदन में सर्वेक्षणकर्ता तथा समन्वयक द्वारा उक्त प्रस्तावित परियोजना के लिए दिये गये उपसंहार निम्न प्रकार है :-
- प्रस्तावित परियोजना पथ निर्माण से संबंधित है। उक्त परियोजना से लोगों के आवगमन में काफी सुविधा होगी, जिसके लिए भूमि अर्जन, उचित मुआवजा राशि देने के साथ किया जा सकता है।
  - चांदडीह-तिलौना पथ भाया सिमरा, खसपैका, पिछड़ीबाद, मथुरापुर, हुसैनाबाद, कथारी पथ का पुनिर्माण से 569 परिवार के 2178 सदस्य प्रभावित होंगे। प्रभावित भूमि पर लगभग 90 संरचना एवं 506 वृक्ष अवस्थित है, जिसके लिए समुचित मुआवजा का प्रावधान किया गया है।
  - यह एक रेखीय परियोजना है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। सभी प्रभावित परिवारों की सभी आवश्यकताओं को प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।
  - प्रभावित परिवारों की आंशिक भूमि ही ली जा रही है और परिवार की आय पर माप योग्य प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आजीविका का प्रावधान नहीं किया गया है।
  - सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस०आई०ए०) अध्ययन प्रतिवेदन देवघर जिला के वेबसाइट [www.deoghar.nic.in](http://www.deoghar.nic.in) एवं जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में देखा जा सकता है।


  
 6/6/18  
 उपायुक्त-सह-समाहर्ता,  
 देवघर।

ज्ञापांक 559/भू अ०, देवघर दिनांक-.....०९..... वीं, जून, 2018 ई०।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु सी०डी० सहित प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

  
 6/6/18  
 उपायुक्त-सह-समाहर्ता,  
 देवघर।